1

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतू

सगराराम बनाम हरिराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR नं. 277/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। [signature]	
14/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 02/12/2020 को पेश हों। [initials]	
02/12/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 09/02/2021 को पेश हों। [initials]	
09/02/2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 22/06/2021 को पेश हों। [initials]	

[illegible] पत्रा... पेश हुई। बकुलाय ... पीठासीन आध कारी ... व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा ... दिनाक 14/09/2021 को ... हो।

14/09/2021 पत्रावली आज पेश ... बुलाय रक्षकारान उप... पीठासीन आध कारी दिगर कार्या म व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 01/12/2021 को पेश हो।

01/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगणो के नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त/श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्पो मे व्यस्त होने से मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक-22/03/2022 को पेश हो।

22/03/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगणो के सम्मन पूर्व मे जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नही हुई है/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-27/04/2022 को पेश हो।

27/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगणो के नोटिस पूर्व मे जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नही हुई। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-23/05/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

अज अदालत उ...
तारीख हुक्म
23/05/2022 प्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड ... अधिक समय हो ...

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 757 दिनांक : 23/05/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सगराराम पुत्र हरखाराम, 2. जोगाराम पुत्र हरखाराम, जाति जाट, निवासी रतेऊ, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. हरीराम पुत्र राऊराम वगैरा 17, जाति जाट, निवासी रतेऊ, पटवार मण्डल रतेऊ तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 277 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रतेऊ, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 765 / 25 रकबा क्रमशः 21.0000 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 23/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 758-762

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
3. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री सगराराम पुत्र हरखाराम वगैरा 02,
5. विप्रार्थी श्री हरीराम पुत्र राऊराम वगैरा 17,
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर